न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/07/18	16–01–2018	23–04–2016

01. धीस सिंह प्रभूसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गूगलकोटा तहसील नीमराना जिला अलवर।

प्रार्थी

प्रार्थी

बनाम

01. साधू सिंह पुत्र सम्पत सिंह
02. धर्म सिंह पुत्र सम्पत सिंह
03. बृजपाल सिंह पुत्र सम्पत सिंह
04. किशन सिंह पुत्र शहजाद सिंह
05. श्याम सिंह पुत्र शहजाद सिंह सभी जाति राजपूत निवासी ग्राम गूगलकोटा तहसील नीमराना जिला अलवर
06. उप पंजीयक नीमराना अलवर
07. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार नीमराना जिला अलवर।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र मुन्तकिल

उपस्थितः–

01. श्री अनिल कुमार –वकील प्रार्थी
02. श्री रामबहादुर सिंह –वकील अप्रार्थी

—:: निर्णय ::—

प्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी नीमराना के न्यायालय में विचाराधीन दावा बअनुवान धीसा सिंह बनाम साधू सिंह को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किए जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थनपा पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं पीठासीन अधिकारी से प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर टिप्पणी तलब की गई। बहस सुनी गई।

विद्वान वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी ने एक दावा विभाजन आराजी व हुक्म ईम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 53, 188, 189 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का उप खण्ड अधिकारी नीमराना में प्रस्तुत किया गया था। वाद पत्र के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर स्थगन प्रार्थना पत्र को तहत अदालत द्वारा स्वीकार करते हुऐं अप्रार्थीगण को पाबन्द किया गया है। तहत अदालत में प्रकरण वास्ते जवाब अप्रार्थीगण में विचाराधीन है। तहत अदालत द्वारा उक्त मुकदमें में लगातार दिनांक 13.11.17 के बाद नजदीक–नजदीक तारीख पेशीयॉ नियत की जा रही है। प्रार्थी एक बुजुर्ग व्यक्ति है और पीठासीन अधिकारी से काफी निवेदन किया कि उक्त मुकदमें में नजदीक तारीख पेशी पर आने में असमर्थ हूँ इसलिये उक्त मुकदमें में 15–20 दिन की तारीख दी जावें।

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

दिनांक 20.12.2017 को पीठासीन द्वारा मिन प्रार्थी से कहा गया कि उक्त मुकदमें विवादित वर्णित आराजी के सम्बन्ध में जारी स्थगन आदेश को आगामी तारीख़ पेशी दिनांक 26.12.2017 को निरस्त कर दिया जावेगा। पीठासीन अधिकारी प्रार्थी के मुकदमें में जारी स्थगन आदेश को निरस्त करना चाहते है और जिससे साफ जाहिर होता कि पीठासीन अधिकारी असल अप्रार्थी से साज–बाज हो गये है। प्रार्थी को तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी से न्याय की कोई उम्मीद नही है।

तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में व्यक्तिगत रूप से रूचि लेकर विधिक प्रक्रिया एवं प्रावधानों के अनुसार सुनवाई न कर मनमाने तौर पर आनन–फानन में कार्यवाही कर जल्दी–जल्दी तारीख पेशी नियत कर मुकदमों का निस्तारण जल्दबाजी में करने का प्रयास किया जा रहा है। पीठासीन अधिकारी मनमानी कर रहें है। विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि न्याय निर्णय होना ही नहीं चाहिये बल्कि होने जैसा दिखना चाहिऐं। अतः न्यायहित में प्रकरण किसी अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किए जाने के आदेश फरमावें।

विद्वान वकील अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुऐं निवेदन किया कि प्रकरण में एक पक्षीय स्थगन आदेश दिनांक 16.06.2017 को तहत अदालत द्वारा जारी किये गये जिसकी जानकारी होने पर अप्रार्थीगण द्वारा उस आदेश की अपील राजस्व अपील अधिकारी कम सेटिलमेन्ट ओफिसर अलवर के न्यायालय में की जिन्होने उक्त आदेश को स्थगित करते हुऐ अधीनस्थ न्यायालय को एक माह में दोनों पक्षों को सुनकर स्थगन आदेश पारित करें, जिसकी अपील प्रार्थीगण द्वारा राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी की जिसमें भी दिनांक 18.10.2017 को एक माह 30 दिन में प्रकरण के स्थगन आदेश पर दोनो पक्षों की बहस सुनकर निस्तारण करने के आदेश दिये है। अप्रार्थीगण प्रकरण को किसी भी सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करने के लिये सहमत है, परन्तु माननीय राजस्व अपील अधिकारी अलवर व माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के आदेश दिनांक 18.10.2017 के मुताबिक प्रकरण एक माह में सुनकर तय करवा दिया जावें। अप्रार्थीगण को प्रकरण उप खण्ड अधिकारी नीमराना से मुन्तकिल करने में कोई ऐतराज व परेशानी नही है। प्रार्थी ने पीठासीन अधिकारी के विरूद्व प्रार्थना पत्र में गलत तथ्य अंकित किया है। प्रार्थना पत्र केवल मुकदमें को लम्बित करने के लिये गलत तथ्यों पर पेश किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

हमनें पत्रावली एवं पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत टिप्पणी का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया।

z

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

पीठासीन अधिकारी ने अपनी टिप्पणी में जाहिर किया है कि प्रकरण में नियमानुसार विधिक प्रक्रिया एवं प्रावधानों के अनुरूप ही सुनवाई की जा रही है। प्रकरण में निष्पक्ष एवं विधि सम्मत् कार्यवाही की जा रही है, समस्त तथ्य काल्पनिक मिथ्या होने से स्वीकार नहीं है।

अतः प्रकरण उप खण्ड अधिकारी बहरोड के न्यायालय में इस आदेश के साथ मुन्तकिल किया जाता है कि उप खण्ड अधिकारी बहरोड दोनों पक्षों को सुनकर गुणावगुणा के आधार पर यथासम्भव माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्देशानुसार एक माह में निर्णित करें। उप खण्ड अधिकारी नीमराना को निर्देशित किया जाता है कि उनके न्यायालय में विचाराधीन प्ररकण बअनुवान धीसा सिंह बनाम साधू सिंह को तुरन्त उप खण्ड अधिकारी बहरोड के न्यायालय में मुन्तकिल करें। निर्णय प्रति उक्त न्यायालयों को पालनार्थ भिजवाई जावें, इस न्यायालय की पत्रावली बाद पूर्ति दाखिल लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 23.04.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजन विशाल)
जिला कलक्टर, अलवर